उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण अधिनियम, 1976

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 46, 1976)

THE UTTAR PRADESH SAFAI MAZDOORS PROTECTION ACT, 1976

(U.P. Act No. 46 of 1976)

उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46 सन् 1976]

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ,"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 19 नवम्बर, 1976 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 नवम्बर, 1976 को प्रकाशित हुआ।]

सिर पर मैला ढोने और घर की सफाई करने के लिए बालकों को रखने का प्रतिषेध करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और लागू होना

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह निम्नलिखित पर लागू होगा–

(क) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में परिभाषित प्रत्येक नगर ;

(ख) यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिलिटीज ऐक्ट, 1916 में पथा परिभाषित प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी ;

(ग) यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट, 1916 के अधीन गठित प्रत्येक नोटिफाइड एरिया ; और

(घ) संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन गठित प्रत्येक टाउन एरिया।

घर का मैला साफ करने या ढोने का प्रतिषेध

2–(1) कोई व्यक्ति अपने सिर या कूल्हे पर किसी पात्र में न तो मैला ढोयेगा, न तो मैला ढोने के लिये रखा जायगा और न उससे इस प्रकार मैला ढोने की अपेक्षा की जायगी।

(2) किसी व्यक्ति को, जिसकी आयु अट्ठारह वर्ष से अधिक न हो, कोई व्यक्ति घर का मैला साफ करने के लिए नहीं रखेगा।

स्पष्टीकरण–उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिये पद "घर का मैला" साफ करने का तात्पर्य गलीज, कचरा, मैला या अन्य घृणित वस्तु भवन सें संबंधित संडास, शौचालय, मूत्रालय, मल–कूप से या ऐसी वस्तु के लिये अन्य सामान्य पात्र से हटाने से होगा।

शास्तियां

3–(1) जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माना से दण्डनीय होगा जो पच्चीस रुपये से कम और दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) कोई न्यायालय उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, सिवाय राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से प्राधिकृत अधिकारी को शिकायत के, संज्ञान नहीं करेगा।